(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
जगदीश कुमार पुत्र चुतराराम जाति कुमावत, निवासी मौखावखुर्द तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (02)		चुतराराम पुत्र जसवंताराम जाति कुमावत, निवासी मौखाव खुर्द तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (05)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) **मुकदमा नम्बर** 310/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.2024	प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री बालाराम गोदारा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। अंतरिम स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पैतृक संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा कोहरियों की बस्ती, तहसील शिव के खसरा नम्बर 132, 136/249, 140, 178 रकबा क्रमशः 6.7825, 11.1693, 0.5099, 3.8364 हैक्टेयर व मौजा मौखाव खुर्द , तहसील शिव के खसरा नम्बर 385/62, 389/63, 59 रकबा क्रमशः 5.6818, 1.0441, 5.0747 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त विवादित आराजी का पर्चा लगान प्रार्थीगण के परदादा वीरमणा उर्फ बीरबल के नाम जारी हुआ तथा उनके फोत होने पर उनके पुत्र अर्थात प्रार्थीगण के दादा जसवंता का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। उक्त विवादित आराजी जसवंता के फौत होने पर विप्रार्थी संख्या 1 को पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक खातेदारी में विप्रार्थी संख्या 1 के साथ उनकी संताने प्रार्थीगण का भी बराबर हक हिस्सा निहित है तथा उसी अनुसार प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विवादित आराजी में प्रार्थीगण का पैतृक हक हिस्सा होने तथा काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। विप्रार्थी संख्या 1 उक्त पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि का राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टियों का नाजायज फायदा उठाकर सम्पूर्ण भूमि अजनबी क्रेताओं को बैचान करने पर आमादा है, जबकि संयुक्त पैतृक खातेदारी भूमि में विप्रार्थी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थी संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो गया और प्रार्थीगण को उनके पुश्तैनी कब्जा काश्त व हक हिस्सा वाली भूमि से बेदखल किया जाता है या अन्य हस्तांतरण बैचान आदि किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी/हस्तक्षेप नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी में प्रार्थीगण का पैतृक रूप से [illegible] निहित है तथा मौके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन [illegible] पक्ष में है। सामलाती पैतृक खातेदारी भूमि में प्रत्येक खातेदार का बराबर हक [illegible] निहित होता है। मूल वाद में पेश वशंवृक्ष से भी स्पष्ट है कि [illegible] पैतृक सम्पति है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम [illegible] तहत पैतृक सम्पति में पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री/प्रपौत्र का जन्मतः अधिकार निहित हो जाता है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के पुश्तैनी कब्जा काश्त [illegible] खलंदाजी की जाकर उसे बेदखल किया जाता है या भूमि का अजनबी क्रेताओं को बैचान किया जाता है तो इससे पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि में अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होने से इंकार नहीं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.04 14:34:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

किया जा सकता। साथ ही प्रार्थीगण को अपने पैतृक खातेदारी अधिकारों से भी महरूम रहना पड़ेगा एवं मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आंशका रहेगी। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आरजी/आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा कोहरियों की बस्ती, तहसील शिव के खसरा नम्बर 132, 136/249, 140, 178 रकबा क्रमशः 6.7825, 11.1693, 0.5099, 3.8364 हैक्टेयर व मौजा मौखाब खुर्द , तहसील शिव के खसरा नम्बर 385/62, 389/63, 59 रकबा क्रमशः 5.6818, 1.0441, 5.0747 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी नहीं करने तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का अस्थाई अंतरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक जारी किया जाता है।

पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के सम्मन/नोटिसों का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 02.12.24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

2.12.24 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 29.01.25 को पेश हो।

29.01.25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली विप्रार्थीगण की तामील हेतु दिनांक 21.3.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

21.3.2025 पत्रावली पेश, वकील प्रार्थी उप०, पत्रावली विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 5/5/2025 को पेश हो।

5/5/25 पत्रावली पेश की गई वकील वादी अनुपस्थित। पत्रावली अदम पैरवी में खारिज की जाती है।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.04 14:34:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner